State Vigilance Bureau **Ambala Range Ambala**

प्रथम सूचना रिपोर्ट

जिलाः– अम्बाला **थानाः–** रा0 चौ0 ब्यूरो अम्बाला **वर्षः–** 2013 **प्र0 सु0 रि0 सं0** 2

दिनांक 14.02.2013 **धारा** 7 पी सी एक्ट 1988 **थाना** एस.वी.बी. अम्बाला।

अपराध की घटनाः– दिन वीरवार **दिनांक 14.**02.2013

थाना में सूचना प्राप्त होने की तारीखः– 14.02.2013 **समय** 04:35 पी.एम.

रोजनामचा रिपोर्ट कम संख्या 10 **समय 04**:35 पी.एम

घटना स्थलः थाना से दिशा व दूरी – उतर दक्षिण में 110 कि.मी. ।

बीट / देह : कैथल।

षिकायत कर्ता – श्री कप्तान सिंह पुत्र श्री जिले सिंह कौम जट तहसील राजौंद जिला कैथल

विरूद्ध :– श्री अषोक चोपड़ा जे0ई0 बिजली बोर्ड राजौंद कैथल।

प्रथम सूचना रिपोर्ट का विवरणः–

नकल तहरीर जैल है सेवा में, इन्सपैक्टर विजिलैंस कैथल, निवेदन है कि मैं गांव किठाना का रहने वाला हूं और खेती बाड़ी का काम करता हूं मेरे खेत में टिवल पर बिजली का ट्रांसफर्म लगा हुआ है जो करीब 20,25 दिन पहले जल गया था जिसकी रिपोर्ट मैनें हमारे एरिया के जे0ई0 बिजली बोर्ड राजौंद अषोक चोपड़ा को दे दी थी जिस पर अषोक चोपड़ा जे0ई0 ने उसी दिन मेरे से सारी बात पूछ कर मेरे ट्रासफार्म के जलने की रिपोर्ट तैयार करके अपने अफसरों को भेज दी थी उसके बाद मैं कई बार अषोक चोपड़ा जे.ई. से ट्रासफार्म बदलवाने के लिए मिला लेकिन वह मुझे कुछ ना कुछ बहाना लगाकर टालता रहा आखिर में अषोक चोपड़ा जे0ई0 ने मुझे कहा कि तेरे को पता नहीं कि ट्रासफार्म कैसे मिलता है। मैनें कहा जनाब मुझे नहीं पता तो जे0ई0 ने कहा कि ट्रासफार्म लेना है तो 5000/– रू0 ले आ मैनें कहा मैं गरीब आदमी हूं मै इतने पैसें नहीं दे सकता और मेरे खुसामंद करने पर जे0ई0 ने कहा के 3000/– रू0 से कम नहीं लुंगा जिस दिन 3000/– रू0 लेकर आयेगा उसी दिन ट्रासफार्म दे दुगां मैं जे0 ई0 अषोक चोपड़ा को रिष्वत देना नहीं चाहता उसे रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं 3000/– रू0 अपने साथ लेकर आया हूं। अषोक चोपड़ा जे0ई0 के साथ कानूनी कारवाई की जाए Sd.हस्ताक्षार हिन्दी कप्तान

सिंह कप्तान सिंह पुत्र श्री जिले सिंह गांव किठाना 9466485392 कार्यवाही पुलिसः– आज मन निरीक्षक अपने कार्यालय में हाजिर हूं। कि कप्तान सिंह पुत्र श्री जिले सिंह कौम जाट वासी किठाना उपरोक्त ने हाजिर कार्यालय आकर अषोक चोपड़ा जे0ई0 बिजली बोर्ड राजौंद के खिलाफ जला हुआ ट्रासफार्म बदलने की एवज में 3000 रू0 रिष्वत मांगने बारे दरखास्त पेष की और एक एक हजार रू0 के तीन नम्बरी नोट क्रमांषः (1) 4CK574839 (2) 2AR323441 (3) 8AQ238601 भी पेष किए जिनको अलग से सुचि नोट तैयार करके कब्जा पुलिस में लिये गए सुचि नोट पर मुदई कप्तान सिंह ने अपने हस्ताक्षर किये मजबून दरखास्त से सुर्त जुर्म 7 पी सी एक्ट 1988 का सरजद होना पाये जाने पर तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा बदस्त ए एस आई भीम सिंह नं0 62/कैथल सेवा में भेजी जा रही है। मुकदमा दर्ज करके नकल मिषल पुलिस मय असल तहरीर अरिन्दा ए एस आई वापिस भिजवाई जावें स्पैषल रिपोर्ट इलाका मैजिस्ट्रेट कैथल व अफसरान बाला की सेवा में भिजवाई जावें। मन निरीक्षक मय ए एस आई राम सिंह, सि0–1 जसबीर सिंह 848/कैथल, सि0 संजय कुमार नं0 532/पकचूला, सि0 सुषील कुमार नं0 370/कुरुक्षेत्र व सवारी गाड़ी सरकारी नम्बर HR-37-B-8686 जिसका चालक एच सि मलकीत सिंह 848/जींद है के मुदई कप्तान सिंह को साथ लेकर बराये करवाने नियुक्त डियुटी मैजिस्ट्रेट व रेड रवाना उपायुक्त कार्यालय कैथल का होता हूं। तफतीषी बैग हमराह लिया गया Sd. हस्ताक्षर हिन्दी रणबीर सिंह, नि0 राज्य चौकसी ब्यूरो, उपकेन्द्र कैथल। दिनांक 14.02.2013 समय 02:00 P.M. अजः– राज्य चौकसी ब्यूरो, युनिट कैथल अज थाना एस0 वी0 बी0 अम्बाला बा हवाला रपट नं0 10 समय 4:35 P.M. पर एक लिखित तहरीर बदस्त ए एस आई भीम सिंह नं0 62/कैथल, राज्य चौकसी ब्यूरो, युनिट कैथल बाबत मांगने रिष्वत बर खिलाफ अषोक चोपड़ा जे0ई0 बिजली बोर्ड राजौंद मर्तबा श्री रणबीर सिंह निरीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो, उपकेन्द्र कैथल थाना हजा में प्राप्त हुई तहरीर हजा सें सरेदस्त सूर्त जुर्म 7 पी सी एक्ट 1988 का होना पाया जाने पर मुकदमा न0 02 दिनांक 14.02.13 धारा 7 पी सी एक्ट 1988, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला में दर्ज रजिस्टर करके प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां स्पैषल रिपोर्ट आरिंदा ए एस आई भीम सिंह निजद ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब कैथल भेजकर हिदायत हुई की पहले स्पैषल रिपोर्ट देगा व नकल मिषल पुलिस मय असल तहरीर बर मौका अनुसंधान अधिकारी के पास भेजी जा रही है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की अन्य प्रतियां अलग से उच्च अधिकारीगण की सेवा में अलग से भेजी जा रही है। बजरिया टैलीफोन अफसरान बाला को अवगत करवाया जा चुका है।

हस्ताक्षर कार्यभारी अधिकारी, थाना

नाम रमेश कुमार,
पद, निरीक्षक
नम्बर, नं0 53/HAP